न्यायालय अपर कलेक्टर (विकास), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं विहित प्राधिकारी बुरहानपुर

प्रकरण क्रमांक 29/धारा 92/2017–18 दिनांक 12.03.2018

म.प्र. शासन (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार)– आवेदक

द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार

विरुध्द

1. श्री राकेश सोंलकी
   सरपंच, ग्रा.पं. जामन्या
2. श्री प्रेमलाल पटेल
   सचिव, ग्रा.पं. जामन्या
3. श्री नवलसिंह बडोले
   उपयंत्री,
   जनपद पंचायत खकनार .... अनावेदकगण
4. श्रीमति कंचन सोलंकी
   ग्रा.रो.सहायक
   ग्रा.पं. जामन्या

//आदेश//
(पारित आदेश दिनांक 25/09/2019)

प्रस्तुत प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार के पत्र कमांक /1324/एमजीएनआरईजीएस/2017 दिनांक 13.06.2017 के माध्यम से ग्राम पंचायत जामन्या जनपद पंचायत खकनार में श्रीमती सपना चौधरी के फार्मपौण्ड का निर्माण मजदूरी से न कराकर जेसीबी मशीन से कराया जाना पाये जाने के आधार पर अनावेदक उपयंत्री श्री नवलसिंह बडोले, सरपंच श्री राकेश सोलंकी, सचिव श्री प्रेमलाल कालू तथा ग्राम रोजगार सहायक श्रीमती कंचन सोलंकी के विरूद्ध म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कराने के निवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री हिम्मत पिता काशीनाथ ग्राम जामन्या तहसील खकनार द्वारा श्रीमती सपना चौधरी के फार्मपौण्ड निर्माण में मजदूरो के स्थान पर जेसीबी मशीन का उपयोग करने की शिकायत की जांच तत्का. सहायक यंत्री श्री नेमीचन्द्र मानकर मनरेगा जनपद पंचायत खकनार से कराई गई जिसमें श्री मानकर द्वारा दिनांक 09.02.2017 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया है कि शिकायत में उल्लेखित कार्य स्थल श्री अनिल चौधरी के नाम पर है परन्तु श्री अनिल चौधरी के नाम से कोई फार्मपौण्ड स्वीकृत नही है, शिकायत में उल्लेखित कार्य स्थल पर सपना अनिल चौधरी के नाम से फार्मपौण्ड निर्माण की तकनीकी स्वीकृती कमांक 542 दिनांक 01.10.2016 रू. 1.24 लाख रू. के विरूद्ध 125417/–रू. व्यय किया गया है, जांच के समय फार्मपौण्ड निर्माण कार्य प्रगति पर था। सहायक यंत्री द्वारा कार्य स्थल निरीक्षण करने तथा शिकायतकर्ता के कथनों के आधार पर शिकायत में उल्लेखित फार्म पौण्ड मजदूरों के स्थान पर जेसीबी से कराया जाना पाये जाने के कारण फार्मपौण्ड निर्माण में व्यय राशि 125417/– रू समानुपातिक आधार पर अनावेदकगणों श्री नवलसिंह, उपयंत्री, जनपद पंचायत खकनार, श्री राकेश सोलंकी सरपंच, ग्राम पंचायत जामन्या, श्री प्रेमलाल कालू तत्का. सचिव ग्राम पंचायत जामन्या एवं, श्रीमति कंचन सोलंकी ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत जामन्या को जिम्मेदार मानते हुये वसूली करने का प्रतिवेदन दिया, जिसके आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार द्वारा अनावेदकगणों के विरूद्ध म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज करने का निवेदन किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार के निवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 14.06.2017 को अनावेदकगणों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया।

अनावेदक कमांक 1 श्री राकेश सोलंकी सरपंच, अनावेदक कमांक 2 तत्का सचिव श्री प्रेमलाल कालू द्वारा दिनांक 24.06.2017 को प्रस्तुत लिखित जवाब में बताया गया कि श्रीमति सपना अनिल चौधरी के खेत के पास ग्राम पंचायत द्वारा फार्मपौण्ड निर्माण का कार्य मजदूरो द्वारा किया गया है। शिकायतकर्ता श्री हिम्मत द्वारा दिनांक 24.01.2017 को शिकायत की गई है, परन्तु फार्मपौण्ड निर्माण दिनांक 23.01.2017 को ही पूर्ण हो चूका था। जेसीबी मशीन द्वारा जो कार्य किया गया है वह हितग्राही के द्वारा स्वंय किया गया है। जिसकी सूचना दिनांक 09.02.2017 को हितग्राही द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत जामन्या को दी गई। हितग्राही द्वारा दी गई सूचना सरपंच ग्राम पंचायत जामन्या द्वारा दिनांक 10.02.2017 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार को प्रस्तुत की गई। इसके आधार पर शिकायत को निराधार बताते हुए प्रकरण को नस्तीबद्ध करने का निवेदन किया गया। दिनांक 24.11.2018 को पुनः लिखित जवाब अनावेदक सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक द्वारा देकर शिकायत को झूठी बताया है।

अनावेदक कमांक 3 उपयंत्री श्री नवलसिंह बडोले द्वारा अपने लिखित जवाब दिनांक 24.06.2017 में बताया कि ग्राम पंचायत में फार्मपौण्ड निर्माण श्रीमति सपना अनिल चौधरी के खेत के पास 124000/–रू का स्वीकृत है। जिसकी तकनिकी स्वीकृती कमांक 542 दिनांक 01.10.2016 है। स्वीकृत निर्माण कार्य दिनांक 24.11.2016 को प्रारंभ किया जाकर दिनांक 23.01.2017 को पूर्ण किया गया है। निर्माण खुदाई का कार्य मजदूरों के द्वारा किया गया। लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में बताया गया है, कि फार्मपौण्ड का निर्माण जेसीबी से किया गया है लेकिन ग्राम पंचायत में जो निर्माण कार्य कराया गया है जिसमें मजदूरों के द्वारा कार्य किया गया है एवं अंतिम मस्टर कमांक/4286 कार्य कि अवधि दिनांक 17.01.2017 से 23.01.2017 जो कि फार्मपौण्ड के चारो ओर पत्थरों की पिचिंग का कार्य किया गया है, और जो हितग्राही द्वारा कार्य पूर्ण होने के बाद जेसीबी से नाला गहरीकरण स्वंय के व्यय से किया गया है, इसका संबंध निर्माण कार्य से नही है, और हितग्राही के द्वारा जेसीबी का उपयोग करने हेतु लिखित में दिनांक 09.02.2017 एवं ग्राम पंचायत के द्वारा हितग्राही के पत्र के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार को दिनांक 10.02.2017 को पत्र दिया गया। जबकि ग्राम पंचायत में जो कार्य किया गया था उसको मजदूरों के द्वारा किया गया है, एवं ग्राम पंचायत में भ्रमण के दौरान मजदूरों द्वारा ही कार्य किया गया पाया गया है। फार्मपौण्ड निर्माण कार्य जांचकर्ता अधिकारी श्री नेमीचन्द मानकर तत्का. सहायक यंत्री मनरेगा जनपद पंचायत खकनार द्वारा अपने लिखित जवाब दिनांक 24.09.2018 में बताया है, कि ग्राम पंचायत जामन्या में शिकायत में उल्लेखित फार्मपौण्ड निर्माण जेसीबी के उपयोग की जांच की गई थी। इस कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जांच के समय प्रस्तुत नही किया गया था। कार्य प्रगतिरत होने की स्थिति में जेसीबी मशीन से कार्य किया जाना पाये जाने के कारण कार्य को अवैध मानते हुए संपूर्ण व्यय की गई राशि की वसूली प्रस्तावित की गई थी।

शिकायतकर्ता हिम्मत द्वारा दिनांक 03.10.2018 को लिखित आवेदन देकर बताया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार के पत्र दिनांक 21.03.2017 में जो लिखा है वह सही है। उसके द्वारा जेसीबी मशीन से काम करते समय लिए गए फोटोग्राफ, ट्रेक्टर मालिक का नाम व मशीन का नंबर प्रस्तुत कर, शिकायतकर्ता द्वारा अपने शपथपूर्वक कथन दिनांक 16.10.2018 में बताया है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार अन्तर्गत ग्राम पंचायत जामन्या में वर्ष 2016–17 में मनरेगा योजना से स्वीकृत तालाब राशि 1.24 लाख में मजदूरों से काम न कराकर जेसीबी मशीन से कार्य किया गया है, इसके फोटो उसके द्वारा दिनांक 23.01.2017 को ली गई शिकायत में संलग्न कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार को प्रेषित किये गये है। उक्त निर्माण कार्य में जो ट्रेक्टरों का उपयोग किया गया है उनके ट्रेक्टर मालिक का नाम व नम्बर भी प्रदाय किये गये है।

जांचकर्ता श्री नेमीचन्द्र मानकर तत्का. सहायक यंत्री मनरेगा जनपद पंचायत खकनार द्वारा दिनांक 16.10.2018 को शपथ पूर्वक प्रस्तुत कथन में बताया है कि मेरे द्वारा सहायक यंत्री जनपद पंचायत खकनार के पद पर पदस्थ रहते हुये मूझे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार के आदेशानुसार ग्राम पंचायत जामन्या जनपद पंचायत खकनार में खेत तालाब निर्माण में जेसीबी से कार्य किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच मेरे द्वारा की गई उक्त शिकायत में

मेरे द्वारा उक्त कार्य स्थल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त निर्माण स्थल पर जेसीबी मशीन पाई गई। जबकि उक्त कार्य प्रगतिरत था जिसका उल्लेख मेरे द्वारा दिनांक 09.02.2017 को प्रेषित जांच प्रतिवेदन में किया गया। प्रतिपरीक्षण अनावेदक श्री राकेश सोलंकी संरपच ग्राम पंचायत जामन्या द्वारा यह कहना गलत है कि उक्त निर्माण कार्य में जेसीबी से कार्य नही किया गया हैं कार्य पूर्ण होने के बाद हितग्राही द्वारा जेसीबी मशीन से कार्य किया गया है। जो भी निर्माण कार्य हुआ है शासन नियमानुसार किया है। प्रतिपरीक्षण अनावेदक श्री प्रेमलाल तत्का. सचिव ग्राम पंचायत जामन्या द्वारा यह कहना गलत है कि ग्राम पंचायत जामन्या के हितग्राही सपना अनिल द्वारा खुद ही जेसीबी लगाकर कार्य किया गया हैं जिसका आवेदन हितग्राही द्वारा जनपद पंचायत खकनार को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिपरीक्षण अनावेदक श्रीमती कंचन सोलंकी सहा. सचिव ग्राम पंचायत जामन्या द्वारा यह कहना गलत है कि ग्राम पंचायत जामन्या के हितग्राही सपना अनिल द्वारा खुद ही जेसीबी लगाकर कार्य किया गया हैं जिसका आवेदन हितग्राही द्वारा जनपद पंचायत खकनार में दिनांक 10.02.2017 को प्रस्तुत किया गया है।

श्री एन.सी. मानकर सहायक यंत्री जनपद पंचायत खकनार के प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 09.02.2017 का अवलोकन करने पर पाया गया कि सरपंच ग्राम पंचायत जामन्या द्वारा जामन्या में अनिल चौधरी के खेत में निस्तार तालाब बनाये जाने तथा तालाब निर्माण में मजदूरो से कार्य न कराते हुए जेसीबी मशीन का उपयोग किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया तथा संबंधित सरपंच को निर्माण कार्य में जेसीबी मशीन उपयोग न करने की समझाईश दी गई। परंतु सरपंच द्वारा नियम विरूध्द कार्य किया गया। जांचकर्ता द्वारा कार्य स्थल पर निरीक्षण किया गया। कार्यस्थल पर जेसीबी मशीन से कार्य किया जाना पाया गया। जांच के समय जांच अधिकारी को सरपंच/सचिव द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत सत्य पायी गई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्रं. एफ/5–1–06–22–04 भोपाल दिनांक 30 जनवरी 2006 के बिन्दु क्रं. 3.3 में निर्देशित किया गया है कि ठेकेदारी प्रथा/मशीनों से कार्य कराने में प्रतिबंध है। ग्राम पंचायत जामन्या द्वारा शासन के निर्देशों के विरूध्द निर्माण कार्य कराया जाना पाया गया। श्री राकेश सोलंकी सरपंच ग्राम पंचायत जामन्या द्वारा दिनांक 10.03.2017 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार को प्रेषित आवेदन के साथ कार्य पूर्णता पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र में कार्य पूर्ण होने की दिनांक अंकित नही है तथा प्रमाण पत्र पर सपना अनिल हितग्राही का नाम अंकित है। जबकि उपयंत्री नवलसिंह बडोले द्वारा दि. 24.06.2017 को प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें कार्य पूर्णता की दिनांक 23.01.2017 अंकित है। उक्त प्रमाण पत्र में हितग्राही का नाम अंकित नही है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत पूर्णता प्रमाण पत्र में भी भिन्नता पायी गई है। फार्म पौण्ड निर्माण कार्य नियम विरूध्द कराया जाकर ग्राम पंचायत जामन्या द्वारा 124000 रू. का व्यय किया गया जो वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। निर्माण कार्य के संबंध में उपयंत्री नवलसिंह बडोले को जानकारी होते हुए भी जांच अधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत नही कराया गया। इनका यह कृत्य अपने कार्य के प्रति लापरवाही की श्रेणी में आता है।

<u>निष्कर्ष :–</u> प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत जामन्या द्वारा खेत तालाब निर्माण कार्य शासन निर्देशो का पालन करते हुए नही किया गया। निर्माण कार्य पर किया गया व्यय वसूली योग्य है।

खेत तालाब निर्माण कार्य पर 124000 रूपये व्यय हुआ है। श्री नवलसिंह बडोले उपयंत्री जनपद पंचायत खकनार, श्री राकेश सोलंकी सरपंच ग्राम पंचायत जामन्या, श्री प्रेमलाल कालू तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत जामन्या, श्रीमति कंचन सोलंकी ग्रा.रो.स. ग्राम पंचायत जामन्या द्वारा निर्माण कार्य में लापरवाही किये जाने से निर्माण कार्य पर हुआ व्यय समान रूप से वसूली योग्य है।

कियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत जामन्या द्वारा खेत तालाब निर्माण कार्य मजदूरों के स्थान पर जेसीबी मशीन से कार्य कराया जाकर नियम विरूद्ध कार्य किये जाने से राशि 124000/–रू. वसूली योग्य है। उक्त राशि मे से श्री राकेश सोलंकी सरपंच ग्राम पंचायत जामन्या 31000/–रू, श्री प्रेमलाल कालु तत्का. सचिव ग्राम पंचायत जामन्या 31000/–, श्रीमती कंचन सोलंकी, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत जामन्या 31000/–रू. एवं श्री नवलसिंह बडोले उपयंत्री

जनपद पंचायत खकनार से 31000/–रू वसूली योग्य है। वसूली योग्य राशि कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार में जमा कराकर जमा रसीद 15 दिवस में प्रस्तुत करें। राशि जमा ना कराया जाने पर म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 70 के तहत कार्यवाही की जावेगी। जिला पंचायतराज अधिकारी जिला पंचायत बुरहानपुर सरपंच/सचिव ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत जामन्या एवं उपयंत्री जनपद पंचायत खकनार को भविष्य के लिये सजगता से कार्य करने की चेतावनी पत्र पृथक से जारी करें।

आदेश आज दिनांक 25/09/2019 को खुले न्यायालय में पारित किया जाकर उद्घोषित किया गया ।

(रोहन सक्सेना)
विहित प्राधिकारी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर

प्रतिलिपि,

1. जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला पंचायत बुरहानपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ~~बुरहानपुर~~ खकनार की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित ....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

विहित प्राधिकारी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर